संख्या:04**/2020/528/33-3-2020-31/2019**

प्रेषक,

अनीता सिंह**,**

प्रमुख सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी**,**

उत्तर प्रदेश।

पंचायतीराज अनुभाग**-3** लखनऊ दिनांक**: 14** फरवरी**, 2020**

विषय**:-**स्वच्छ भारत मिशन **(**ग्रामीण**)** योजनान्तर्गत ग्राम पंचायतों में द्वितीय सामुदायिक शौचालय का निर्माण चतुर्थ राज्य वित्त आयोग**/14**वां वित्त आयोग की धनराशि से कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

स्वच्छ भारत मिशन (**ग्रामीण**) **के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों को खुले में शौच से मुक्त बनाये जाने हेतु प्रत्येक ग्राम पंचायत में कम से कम** 02 **सामुदायिक शौचालय निर्माण कराया जाना है। प्रथम सामुदायिक शौचालय का निर्माण भारत सरकार द्वारा प्रदत्त पी**0**आई**0**जी**0**एफ**0 **की धनराशि से किया जाना है इस हेतु शासन स्तर से शासनादेश संख्या**-409/33-3-2020 **दिनांक** 07.02.2020 **एवं शासनादेश संख्या**- 468/33-3-2020-1307 **ए.सी.एस.पी.आर.**/2018 **दिनांक** 11.02.2020 **निर्गत किये गये है।** द्वितीय सामुदायिक शौचालय **का निर्माण** चतुर्थ राज्य वित्त आयोग**/14**वां वित्त आयोग **की धनराशि से कराया जाना है।**

उक्तानुसार द्वितीय सामुदायिक शौचालय **प्रत्येक ग्राम पंचायत में बनाते समय प्राथमिकता महिलाओं के शौचालय निर्माण हेतु दी जाये। यदि महिलाओं हेतु पृथक सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता न हो तो भी ऐसे सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया जाये जिसे महिला व पुरूष सभी लोग प्रयोग कर सकें।** द्वितीय सामुदायिक शौचालय **का निर्माण निम्नानुसार कराया जाना है**-

1. स्थल चयन**-**

1.1 **प्रत्येक ग्राम पंचायत में ऐसे स्थल को चिन्हित कर लिया जाये जहां पर व्यक्तिगत शौचालय निर्माण हेतु स्थान का अभाव हो।**

1.2 **यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि निर्माण हेतु चयनित स्थल लाभ प्राप्त करने वाली आबादी से समुचित दूरी पर हो व आने-जाने की सुगमता हो।**

1.3 **स्थल चयन प्रक्रिया के लिए सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु समुदाय से चर्चा आदि कर स्थल की सहमति ले ली जाए।**

1.4 **भू-राजस्व विभाग से समन्वय स्थापित कर चयनित स्थल पर शौचालय निर्माण की सहमति प्राप्त कर ली जाए।**

1.5 **सामुदायिक शौचालय निर्माण वाले स्थल पर जल की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए।**

http://shasnadesh.up.gov.in

2. द्वितीय सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था का चयन एवं वित्तीय व्यवस्था-

2.1 **द्वितीय सामुदायिक शौचालय के निर्माण सम्बन्धी प्रस्तावों का अनुमोदन, प्रशासनिक स्वीकृति एवं कार्यान्वयन एजेन्सी का चयन करने के लिये सम्बन्धित जिले की जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंन्ट कमेटी को प्राधिकृत किया जाता है।**

2.2 **द्वितीय सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंन्ट कमेटी के द्वारा ग्राम पंचायत को कार्यदायी एजेन्सी के रूप में नामित कर अधिकृत किया जाएगा।**

2.3 **द्वितीय सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु योजनान्तर्गत कुल अनुमन्य धनराशि** रू0 02.00 **लाख है। द्वितीय सामुदायिक शौचालय का निर्माण शत-प्रतिशत चतुर्थ राज्य वित्त आयोग**/14**वां वित्त आयोग की धनराशि से कराया जाएगा। यह द्वितीय सामुदायिक शौचालय गांव सभा की परिसम्पत्ति होगी, जिसका रख-रखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जाएगा।**

2.4 **ग्राम पंचायत द्वारा द्वितीय सामुदायिक शौचालय के निर्माण हेतु धनराशि** 02 **बराबर किस्तों में आहरित की जाएगी।** 50 **प्रतिशत की प्रथम किस्त के उपभोग कर लिये जाने के उपरान्त सम्बन्धित ग्राम पंचायत के विकास खण्ड पर कार्यरत ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग के अवर अभियन्ता से व्यय धनराशि एवं शौचालय की गुणवत्ता का सत्यापन सुनिश्चित करते हुए द्वितीय किस्त की धनराशि आहरित की जाएगी।**

2.5 **ग्राम पंचायत द्वारा निर्मित कराये जा रहे द्वितीय सामुदायिक शौचालय का वित्तीय नियन्त्रण एवं पर्यवेक्षणीय दायित्व जिला स्वच्छता समिति/जिला स्वच्छ भारत मिशन मैनेजमेंन्ट कमेटी का होगा।**

3. सामुदायिक शौचालय हेतु प्रस्तावित डिजाइन-

सामुदायिक शौचालय परिसरों का निर्माण, शौचालय सीटों की समुचित संख्या (कम से कम दो सीट महिलाओं के लिए तथा दो सीट पुरूषों के लिए) एवं आवश्यकतानुसार स्नान की जगह उपलब्ध कराते हुए ट्विन पिट तकनीक पर किया जा सकता हैं, जोकि रख-रखाव एवं संरक्षण की दृष्टि से उपयोगी तकनीक है। साथ ही स्वच्छ भारत मिशन(ग्रामीण) योजनान्तर्गत सभी सामुदायिक शौचालय परिसरों में प्रस्तावित सीटो में से एक शौचालय की सीट दिव्यांगों के अनुकूल निर्मित करायी जानी चाहिए।

इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा जारी ओ0**डी**0**एफ**0 **स्थायित्व** (ODF Sustainablity) **के संदर्भ हेतु जारी गाइड-लाइन्स पृष्ठ संख्या**-13 **व** 14 **के अनुसार सामुदायिक शौचालय का निर्माण निम्नाकिंत डिजाइन के आधार पर कराया जा सकता है-**

3.1 **संदर्भ हेतु मॉडल डिजाइन** (**संलग्नक**-2)

3.2 **संदर्भ हेतु मॉडल एस्टीमेट** (**संलग्नक**-3)

4. शौचालयों का रखरखाव एवं अनुरक्षण-

4.1 **द्वितीय सामुदायिक शौचालयों के परिचालन, अनुरक्षण एवं साफ-सफाई की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होगी।**

http://shasnadesh.up.gov.in

4.2 **ग्रांम पंचायतें जहां सामुदायिक शौचालय की आवश्यकता है वहां के लोगो की एक निगरानी समिति बनायी जाये जो शौचालय निर्माण एवं रख-रखाव का पर्यवेक्षण करे। यह समिति यह भी अनुश्रवण करेगी कि शौचालय निर्माण निर्धारित समय में हो।**

4.3 **उक्त निगरानी समिति में न्यूनतम** 03 **व अधिकतम** 05 **सदस्य रखे जाएगें, जिसमें एक महिला सहित शेष सदस्य शौचालय का लाभ प्राप्त करने वाले समुदाय से होने चाहिए।**

4.4 **यदि लाभान्वित होने वाले परिवारों में कोई दिव्यांग व्यक्ति हो तो समिति में अवश्य सम्मिलित किया जायेगा।**

4.5 **रख-रखाव एवं दैनिक साफ-सफाई का अनुश्रवण निगरानी समिति द्वारा ग्राम पंचायत के सहयोग से नियमित रूप से किया जाएगा।**

द्वितीय सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु स्थल चयन की प्रक्रिया सम्बन्धी प्रमाण-पत्र प्रारूप-4(**क**) **पर की जाएगी, जिसकी एक प्रति जनपद स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारी कार्यालय में एवं एक प्रति विकास खण्ड स्तर पर सहा**0 **विकास अधिकारी**(**पं**0) **कार्यालय पर तथा एक प्रति सम्बन्धित ग्राम पंचायत पर संरक्षित रखी जायेगी। स्थल चयन की सूचना प्रारूप-**4(**ख**) **पर जिलाधिकारी से हस्ताक्षरित प्रति मिशन कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।**

जनपद द्वारा निर्मित कराये जा रहे द्वितीय सामुदायिक शौचालय की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की ऑनलाइन रिपोर्टिंग पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, जलशक्ति मंत्रालय, भारत सरकार की बेवसाइट पर अनिवार्य रूप से की जायेगी।

अत: इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ हैं कि उपरोक्तानुसार सामुदायिक शौचालय के निर्माण का कार्य प्रत्येक दशा में दिनांक 31 **मार्च**, 2020 **तक पूर्ण कराने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।**

यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या-यू.ओई-2-139/X-20 दिनांक 14.02.2020 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

संलग्नक-

1. भारत सरकार एवं उ0**प्र**0 **शासन के पत्र**

2. मॉडल डिजाइन 02,

3. एस्टीमेट 03

4. प्रारूप 4(**क**) **व** 4(**ख**)

संलग्नक**:-**यथोक्त।

भवदीय,

(अनीता सिंह**)**

प्रमुख सचिव।

संख्या व दिनांक-तद्वैव

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. **समस्त मण्डलायुक्त**, **उ**0**प्र**0**।**

http://shasnadesh.up.gov.in

2. **मिशन निदेशक**, **स्वच्छ भारत मिशन** (**ग्रामीण**), **उ0प्र0।**
3. **निदेशक**, **पंचायतीराज विभाग**, **उ0प्र0।**
4. **समस्त मुख्य विकास अधिकारी**, **उ0प्र0।**
5. **समस्त मण्डलीय उप निदेशक**(पं0), **उ0प्र0।**
6. **समस्त जिला पंचायतराज अधिकारी**, **उ0प्र0।**

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र कुमार सिंह)
सचिव।

http://shasnadesh.up.gov.in

प्रारूप-4(क)- सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु स्थल चयन का प्रमाण पत्र

जनपद-

विकास खण्ड-

ग्राम पंचायत-

राजस्व ग्राम-

सामुदायिक निर्माण हेतु स्थल चयन का आधार-

निर्मित कराये जाने वाले सामुदायिक शौचालय का प्रयोग किये जाने वाले परिवारों की संख्या-

भूमि की उपलब्धता-

भूमि की उपलब्धता के सम्बन्ध में राजस्व विभाग से प्राप्त सत्यापन आख्या-

आबादी से निर्मित कराये जाने वाले सामुदायिक शौचालय की दूरी-

निर्मित कराये जाने वाले सामुदायिक शौचालय के पास जल एवं विद्युत की व्यवस्था-

लाभान्वित होने वाले समुदाय के सदस्यों को सम्मिलित करते हुये निगरानी समिति के गठन की स्थिति-

हस्ताक्षर-गठित निगरानी समिति के सदस्य

1- नाम-

2- नाम-

3- नाम-

4- नाम-

5- नाम-

हस्ताक्षर- सचिव, ग्राम पंचायत सचिव का नाम

हस्ताक्षर- ग्राम प्रधान ग्राम प्रधान का नाम

हस्ताक्षर- सहा0विकास अधिकारी(पं0) सहा0विकास अधिकारी(पं0) का नाम

हस्ताक्षर-जि0पं0रा0अ0 जि0पं0रा0अ0 का नाम

http://shasnadesh.up.gov.in

रूप-**4(ख)-** जनपद में निर्मित होने वाले सामुदायिक शौचालय की संकलित रिपोर्ट

क्र0 सं0	जनपद का नाम	विकास खण्ड	ग्राम पंचायत	राजस्व ग्राम	सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु स्थल चयन का आधार	सामुदायिक शौचालय का प्रयोग किये जाने वाले परिवारों की संख्या	भूमि की उपलब्धता (हां/नहीं)	राजस्व विभाग से प्राप्त सत्यापन आख्या (प्राप्त/अप्राप्त)	सामुदायिक शौचालय के पास जल एवं विद्युत की व्यवस्था (हां/नहीं)	निगरानी समिति के गठन (हां/नहीं)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**

हस्ताक्षर एवं मुहर
जिला पंचायत राज अधिकारी

हस्ताक्षर एवं मुहर
मुख्य विकास अधिकारी

हस्ताक्षर एवं मुहर
जिलाधिकारी

http://shasnadesh.up.gov.in

http://shasnadesh.up.gov.in